HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1566/2026
CNR: RJHC020689482026 | URN: SOSA / 2823U / 2026
In
S.B. Criminal Appeal No. 1675/2026

Chauthmal Dhakad S/o Kanhaiya Lal, Aged About 55 Years, Resident Of Dobada, Police Station Khanpur, District Jhalawad (Rajasthan).
(Presently Confined In Central Jail Kota, District Kota)

----Accused/Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Purshotam Meghwal S/o Goverdhan Lal, Aged About 40 Years, R/o Dobda Police Station Khanpur, District Jhalawad (Rajasthan)

----Non-Petitioner/Complainant

For Petitioner(s)	:	Mr. Lakshya Singh Khiriya, Adv. Mr. Mayank Singhal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Chaudhary, PP Mr. Akshay Singh, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

30/10/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त **चौथमल धाकड़ पुत्र कन्हैयालाल** की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत, विद्वान विचारण न्यायालय– विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अज.जा. (अ.नि.प्र.), झालावाड़ (राज.) के द्वारा सैशन प्रकरण संख्या– 56/2021, उनवान राजस्थान राज्य बनाम चौथमल धाकड़ में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 24.04.2026 जिसके द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 504 भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(s) एस.सी./एस.टी.एक्ट में दोषमुक्त कर अपराध अंतर्गत धारा 448 भा.दं.सं एवं धारा 3-1(f) एस.सी./एस.टी.एक्ट में दोषसिद्ध कर निम्न दंडादेश पारित किया है, के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैः–

Digitally signed by
MOHIT KUMAR
Date: 2026.10.31
12:25:38 IST

अन्तर्गत धारा	सजा	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
448 भा.दं.सं	01 वर्ष का साधारण कारावास	1,000/– रुपये	01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
3-1(f) एस.सी./एस.टी.एक्ट	03 वर्ष का साधारण कारावास	1,00,000/– रुपये	06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से नियम 311 (3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का दौराने बहस कथन है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष है एवं उसे इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया तथा पत्रावली पर उसे दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त सामग्री/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उनका यह भी कथन है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का गहनतापूर्वक विवेचन किए बिना ही आलोच्य आदेश दिनांक 24.04.2026 पारित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी–अभियुक्त को आरोपित अपराध में 3 वर्ष के अधिकतम कारावास के दंड से दंडित किया गया है तथा वह लगभग 5 माह से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में अपील की नियमित सुनवाई व निस्तारण में समय लगेगा। अतः न्यायहित में उसका सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 को नोटिस तामील होने के उपरांत भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

6. बहस सुनी गई। मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

7. हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति तथा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील के निर्णयार्थ महत्वपूर्ण तथ्य एवं

विधि का प्रश्न अन्तर्वलित है, अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **चौथमल धाकड़ पुत्र कन्हैयालाल** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/–रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं **25,000–25000/–रूपए (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **30.11.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो निम्न शर्तों के अन्तर्गत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए ''**दण्डादेश**'' (sentence) की क्रियान्विती को इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जावे एवं प्रार्थी–अभियुक्त को इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा कर दिया जाए।

1– कि प्रार्थी–अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख **(अवकाश होने पर अगले दिन)** पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा।

2– कि प्रार्थी–अभियुक्त का पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने की स्थिति में संबंधित पुलिस थाने द्वारा इसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाएगी।

3– कि प्रार्थी–अभियुक्त के पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने पर अभियोजन पक्ष यह जमानत आदेश निरस्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

4– कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त अपील के विचारण के दौरान अपना स्थायी निवास का पता बदलता है तो वह इस संबंध में लिखित में सूचना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता, जो कि उसके मामले में पैरवी कर रहे हैं को अविलम्ब देगा।

9. आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि वह प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलके इस न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित करे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ D-A 72